	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	**साधिकार प्रकाशित**	***Published by Authority***
	भाद्र 13, शुक्रवार, शाके 1942–सितम्बर 4, 2020 *Bhadra 13, Friday, Saka 1942–September 4, 2020*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

कृषि (ग्रुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अप्रेल 27, 2020

संख्या प.10(39)कृषि/ग्रुप-2/76/पार्ट :-राज्य सरकार द्वारा राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम, 1961 की धारा 5(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कृषि (ग्रुप-2) विभाग द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचनाओं में अंकित अशुद्वियों को दूर करने के लिए निम्नानुसार संशोधन किये जाते है-

क्र.स.	विवरण
1.	अधिसूचना दिनांक 10.04.2020 में क्रम संख्या 223 के स्तम्भ 3 व स्तम्भ 4 में अंकित अभिव्यक्ति ''छत्रगढ'' को अवस्थापित करते हुए ''छतरगढ'' किया जाता है।
2.	अधिसूचना दिनांक 10.04.2020 में क्रम संख्या 321 के स्तम्भ 2 में अंकित अभिव्यक्ति ''सूरतगढ'' को अवस्थापित करते हुए ''विजयनगर'' किया जाता है।
3.	अधिसूचना दिनांक 10.04.2020 में क्रम संख्या 21 के स्तम्भ 2 में अंकित अभिव्यक्ति ''भीलवाडा'' को अवस्थापित करते हुए ''बिजयनगर'' किया जाता है।
4.	अधिसूचना दिनांक 20.04.2020 में अंकित अभिव्यक्ति ''समिति'' को अवस्थापित करते हुए ''संध'' किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,
लाल चन्द गुर्जर,
उप शासन सचिव

5641

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।